(राजस्थान सरकार)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी:–

सुमन देवी II, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं. पुराना– 105/2012
राजस्व वाद सं. नया– 08/2023

जीसीएमएस नम्बर :– 2023/14

1. बीरबलसिंह पुत्र श्री नागर राम जाति जाट नि. ढाकामाण्डी, तह. बुहाना, झुन्झुनूं राज.

................वादी

बनाम

1. गोकलराम
2. महताबसिंह } पुत्रान श्री नागर राम जाति जाट, नि. ढाकामाण्डी, तह. बुहाना, झुन्झुनूं।
3. महेन्द्रा पत्नी हनुमानसिह
4. रामेश्वर
5. बुद्धराम
6. रामचन्द्र
7. धर्मचन्द } पुत्रान सुलतान जाति जाट नि. ढाकामाण्डी, तह. बुहाना, झुन्झुनूं राज.
8. राज. ग्रामिण बैंक जरिए शाखा प्रबन्धक शाखा बुहाना, झुन्झुनूं राज.
9. भगवाना पुत्र नन्दा
10. नारायण पुत्र भूरा
11. छोटु पुत्र सावंत
12. प्रतापसिंह
13. जुगलाल
14. चन्द्रभान
15. सत्यवीर
16. महीपाल } पुत्रान सावंल जाति जाट नि. ढाकामाण्डी, तह. बुहाना, झुन्झुनूं राज.
17. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर जरिए शाखा प्रबंधक, शाखा बुहाना, झुन्झुनूं
18. राजस्थान सरकार तहसीलदार बुहाना जिला झुन्झुनूं राज.

..........प्रतिवादीगण

दावा– खाता विभाजन, रास्ता (251क), स्थाई निषेधाज्ञा

–:निर्णय:–

दिनांक:– 10.07.2025

(1). वादी का वाद पत्र रहा कि–

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.08.01 16:39:17 IST
Reason: SelfAttested

1. वाके ग्राम ढाकामाण्डी तह. बुहाना स्थित भूमि खसरा नम्बर 1 रकबा 0.82 है., खसरा नम्बर 2 रकबा 0.38 है., खसरा नम्बर 10 रकबा 4.34 है. खसरा नम्बर 117 रकबा 4.87 है., ख.नं. 121 रकबा 5.05 है. कुल किता 4 कुल रकबा 11.46 है. जिसके खातेदार वादी हिस्सा 1/8, प्रतिवादी स. 1 हिस्सा 1/8, प्रतिवादी सं. 2 हिस्सा 1/8 प्रतिवादी सं. 3 हिस्सा 1/8 के खातेदार काश्तकार दर्ज रिकॉर्ड है वादी ने अपने हिस्सा पर प्रतिवादी

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

सं. 17 से कब्जा ले रखा है प्रतिवादी सं. 2 व 3 ने प्रतिवादी सं. 8 से तथा प्रतिवादी सं. 1 ने प्रतिवादी सं. 17 से कब्जा ले रखा है।

2. वाके ग्राम ढाकामान्डी स्थित भूमि ख. नं. 85 रकबा 2.10 है, ख. नं. 88 रकबा 3.00 है, ख. नं. 100 रकबा 0.56 है कुल किता 3 कुल रकबा 5.66 है के वादी हिस्सा 1/8, प्रतिवादी सं. 2 लगायत 4 हिस्सा 3/8 के खातेदार है जिन्होंने प्रतिवादी सं.6 8 व 17 से अपने अपने हिस्सा पर कब्जा ले रखा है।

3. वाद वर्णित भूमि ख. नं. 1, 2, 10, 117, 121, 85, 88, 100 कुल किता 8 कुल रकबा 17.12 है में प्रतिवादी सं. 4 लगायत 7 का 1/2 हिस्सा है जिस पर वे काबिज है जिसमें प्रतिवादी रामेश्वर व सुरेशचन्द ने कब्जा ले रखा है। अलावा प्रतिवादी सं. 8 व 17 है जिन्हें पक्षकार बनाया गया है।

4. वादी व प्रतिवादी सं. 4 लगायत 7 ने खसरा नम्बर 85 में पुख्ता कूप बना रखा है एवं विद्युत कनेक्शन ले रखा है तथा अपने हिस्सा की भूमि की सिंचाई करते है वादी व प्रतिवादी सं. 1 लगायत 3 ने भूमि ख.नं. 117 व 88 में भी कूप बना रखे है एवं अपनी अपनी सुविधा के अनुसार उनका उपयोग उपभोग करते है दोनों कूपों पर विद्युत संयोजन भी ले रखा है वादी ने खसरा नम्बर 117 में अपने पुख्ता मकान भी बना रखे है एवं आबाद है। फसल काटता व लाटता है। अपनी भूमि पर शान्ति पूर्वक काबिज एवं आबाद है।

5. वादी व प्रतिवादी सं. 1 लगायत 3 एवं 4 लगायत 7 की संयुक्त खातेदारी में दर्ज भूमि ख. नं. 117 व 121 में आने के लिए रास्ता ख. नं. 108 जो गाँव ढाकामान्डी से आमेड़ा जाने वाला है उससे पूर्व में ख. नं. 123 की उत्तरी सीमा के सहारे सहारे ख. नं. 121 तक रास्ता की आवश्यकता है क्योंकि वादी व प्रतिवादी सं. 1 लगायत 7 की भूमि ख. नं. 121 व 117 में जाने के लिए सबसे सन्निकट यह भूमि है। बिना रास्ता के भूमि ख. नं. 117 व 121 में आना-जाना फसल काश्त करना ख. नं. 117 में स्थित कूप जिसमें विद्युत कनेक्शन लगा हुआ है। व वहीं वादी व प्रतिवादी सं. 1 आबाद है के मकान तक आना जाना असम्भव है तथा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता भी नहीं है।

6. वाद वर्णित भूमि का खाता प्रतिवादी सं. 1 लगायत 7 के साथ संयुक्त है जिसमें वादी को अपने हिस्सा की भूमि की सीमाएं कायम करने एवं भूमि के सुधार आदि करने व उसका अन्यत्र रूपान्तरण करवाने में भारी परेशानी है तथा भूमि ख. नं. 121 में से ख. नं. 117 में जाया जाता है ख. नं. 117 में वादी के मकान होने से ख. नं. 121 में से उसे आने जाने में भी भारी परेशानी होती है तथा रिकॉर्ड में रास्ता नहीं होने से प्रतिवादी सं. 1 लगायत 7 भी उसे संयुक्त खातेदारी में आवागमन में बाधा कारित करते है जबकि रास्ता का रिकॉर्ड में सभी के हिस्सा के अनुपात में दर्ज होना भी आवश्यक है इसलिए वादी के लिए प्रतिवादी सं. 1 लगायत 7 के विरूद्ध यह खाता विभाजन का दावा पेश करना आवश्यक हुआ है।

7. वादी व प्रतिवादी सं. 1 लगायत 7 की भूमि खसरा नम्बर 121 तक पहुंचने के लिए भूमि ख. नं. 123 की उत्तरी सीमा के सहारे-सहारे ख. नं. 108 रास्ता से ख. नं. 121 तक प्रतिवादी सं. 9 लगायत 16 की खातेदारी की कृषि भूमि ख. नं. 123 स्थित है जिसमें से वादी व प्रतिवादी सं. 1 लगायत 7 की भूमि मकान कूप पर आने जाने फसल काटने-लाटने बच्चों को [illegible] परिवार को बेचान करने पशु मवेशी के आने जाने के लिए वादी व प्रतिवादी [illegible] 7 को 8 फीट चौड़ाई में रास्ता की आवश्यकता है प्रतिवादी [illegible] 123 में से जितनी भूमि रास्ता के काम आये उसके [illegible] 121 में से भूमि ले लेवे अथवा जितना रकबा रास्ता के काम आवे उसके लिए राज[illegible] काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 में वर्णित प्रतिकार प्राप्त कर सकते है उक्त प्रतिवादीगण सं. 9 लगायत 16 को उक्त

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुन्झुनूं (राज.)

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.08.01 16:39:17 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिकर वादी व प्रतिवादी सं. 1 लगायत 7 से दिलवाए जाने एवं वादी अपने हिस्सा का प्रतिकार देने को तैयार व तरफ है एवं इस आवेदन पत्र के जरिए भुगतान का निवेदन करता है तथा न्यायालय श्रीमान से धारा 251—क के प्रावधानों की पालना करने एवं प्रतिकर निर्धारण करने का निवेदन करता है।

8. वादी व प्रतिवादी सं. 1 लगायत 7 की भूमि ख. नं. 121 व 117 मे बने मकानात व कूप पर जाने का कोई रास्ता नही है। रास्ता नहीं होने से वादी व प्रतिवादी सं. 1 लगायत 7 को फसल सही मुल्य नहीं प्राप्त होता है बच्चों की पढाई व मकान एवं भूमि का उपयोग होना सम्भव है इसलिए वादी के लिए इस वाद में ही धारा 251—क हेतु आवेदन करना भी आवश्यक है।

9. वादी की भूमि का खाता संयुक्त रहने व कुप एवं मकानात पर रास्ता नही होने से वादी को ऐसी अपुर्तनिय क्षति हो रही है जिसका मुद्रा में मुल्यांकन नहीं हो सकता है।

(क). वाके ग्राम ढाकामाण्डी तह. बुहाना भूमि ख. नं. 1, 2, 10, 117, 121 कुल किता 5 कुल रकबा 11.46 है., ख. नं. 85, 88, 190 कुल किता 3 कुल रकबा 5.66 है. का खाता संयुक्त मानकर इसमें से वादी के 1/8 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 1 के 1/8 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 2 के 1/8 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 3 के 1/8 हिस्स व प्रतिवादी सं. 4 लगायत 7 के 1/2 हिस्सा का खाता विभाजन कर इस भूमि में प्रत्येक खातेदार के लए उसके विभाजन में आने वी भूमि का रास्ता भी प्रावधान करते हुए खातेदारी के अनुपात में रास्ता का करबा कम कर रास्ता के रूप में दर्ज किया जाकर लगान अलग से कायम कर रिकॉर्ड में भी अमल किए जाने की कृपा करे।

(ख). वाके ग्राम ढाकामाण्डी स्थित भूमि ख. नं. 108 गैर मुमकिन रास्ता से इसी गॉव स्थित भूमि ख. नं. 123 जो प्रतिवादी सं. 9 लगायत 16 के नाम खातेदारी में दर्ज है। उक्त ख. नं. 123 की उत्तरी सीमां के सहारे—सहारे सम्पूर्ण लम्बाई तक 8 फीट चौड़ाई में रास्ता ख. नं. 121 तक कायम किया जाकर जितना रकबा उक्त रास्ता के काम आये उसके बदले खसरा नम्बर 121 में से वादी व प्रतिवादी सं. 1 लगायत 7 के हिस्से के अनुपात में भूमि प्रतिवादी सं. 9 लगायत 16 को दिलवाए जाने की कृपा करे।

(2). दावा दर्ज पंजिका कर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। दावा दिनांक 30.07.2012 को खाता विभाजन बाबत प्राथमिक डिक्री किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

(3). पत्रावली 02.07.2015 को लोक अदालत कैम्प कोर्ट बुहाना में रखी गई। प्रतिवादी सं. 4, 6 व 9 लगायत 16 की ओर से जवाब पेश किया गया। रास्ते के सम्बंध में इन प्रतिवादीगण की आपत्ती रही कि—

प्रतिवादी सं. 4, 6 व 9 लगायत 16 की ओर से जवाब दावा रहा कि— वाद खण्ड नं. 1 में वर्णित भूमि में वादी व प्रतिवादी सं. 1 से 3 का 1/2 हिस्सा होना स्वीकार है तथा शेष 1/2 हिस्सा प्रतिवादी सं. 4 लगायत 7 का दर्ज रिकॉर्ड है। वाद खण्ड नं. 2 में वर्णित भूमि में वादी का 1/8 हिस्सा होना स्वीकार है तथा 1/2 हिस्सा प्रतिवादी सं. 3 लगायत 7 का है, प्रतिवादी सं. 4 लगायत 7 ने खसरा नम्बर 85 में एक विद्युत चाह बना रखा है। खसरा नम्बर 85 में पुख्ता कुप प्रतिवादी [illegible] ने बनाया है वादी का ख. नं. 85 में बने कुप से कोई सम्बंध [illegible] सं. 1 लगायत 3 ने खसरा नम्बर 88, 117 में कुप बना रखे है लेकिन इ[illegible] में प्रतिवादी सं. 4 से 7 का भी हिस्सा है जिस पर प्रतिवादी सं. 4 से 7 भी काबिज काश्त है। वादी के हिस्से में ख. नं. 117 आया हुआ है। ख. नं. 117 के पश्चिम में ख. नं. 118 की भूमि लगती हैं। जिसमें

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.08.01 16:39:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

खातेदार औमप्रकाश पुत्र लीलाराम जाति जाट निवासी ढाकामाण्डी ने विद्युत कुप व मकानात बनाकर आबाद है। खातेदार औमप्रकाश की भी भूमि के पश्चिम में रास्ता ख. नं. 108 लगता है। जो आम रास्ता ढाकामाण्डी से झारोड़ा को जाता है। खातेदार औमप्रकाश ने 118 में मकानात बना रखे है। जो खसरा नम्बर 117 के नजदीक ही बने हुए है। खसरा नम्बर 108 से औमप्रकाश के मकानों तक 10 फीट चौड़ा रास्ता मौके पर मौजुद है। वादी की भूमि खातेदार औमप्रकाश के मकानों से केवल 5 मीटर की दूसरी पर स्थित है। इसलिए वादी को सबसे नजदीक रास्ता खसरा नम्बर 118 में से स्थित है। प्रतिवादी सं. 9 लगायत 16 जवाब के साथ एक नजरी नक्शा भी पेश कर रहे है। जो जवाब का भाग रहेगा। जिससे स्पष्ट होता है कि वादी को सबसे नजदीक से यही रास्ता लगता है तो वादी को ख. नं. 123 में से रास्ता कायम करवाने का कोई अधिकार नहीं है। खातेदार औमप्रकाश ख. नं. 118 में से रास्ता देने को तैयार भी है। रास्ते बाबत गॉव में पंचायत भी हुई थी। पंचायत में खातेदार औमप्रकाश ख. नं. 118 में से रास्ता देने को तैयार भी हो गया था। लेकिन वादी वादी व प्रतिवादी सं. 1 लगायत 3, प्रतिवादी सं0. 9 लगायत 16 से राजनैतिक द्वेषता रखते है। इसलिए वादी ने जान बुझकर रंजिशवस ख. नं. 123 में से रास्ता कायम करवाने की फिराक में है। जब वादी को ख. नं. 118 में से मात्र 5 मीटर दुरी पर रास्ता उपलब्ध है तो ख. नं. 123 में से रास्ता कायम करवाने का अधिकार नहीं है।

(4). वादी की ओर से साक्ष्य दस्तावेज में नकल किस्तवार, नकल जमाबंदी सम्वत् 2068–71, नकल जमाबंदी सम्वत् 2068–71,नकल जमाबंदी सम्वत् 2068–71,नकल जमाबंदी सम्वत् 2068–71, नकल जमाबंदी सम्वत् 2068–71, पेश किए गए। प्रतिवादी की ओर से नकल जमाबंदी, नकल नक्शा ट्रेश पेश कि गई।

(5). वस्तुतः प्रतिवादीगण की तामिल के सम्बंध में आदेशिका में कुछ भी अंकित नहीं है। न ही उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है। न ही तामिल सम्यक् माने जाने का अंकन है। दावा दिनांक 30.07.2012 को प्राथमिक डिक्री किया गया था। विभाजन प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए। उभयपक्षकारान व पक्षकारान के वकुलाय को सुना गया। दिनांक 23.07.2015 को तहसीलदार बुहाना को वादी एवं प्रतिवादी के अभिवचनों के आधार पर मौका स्थिती यथा कुर्रेजात व रास्ते के सम्बंध में मौका रिपोर्ट हेतु लिखा गया । पक्षकारान को मौके पर उपस्थित होने के लिए पाबंध किया गया। मौका रिपोर्ट 23.07.2015 को प्राप्त हुई।

(6). **बहस** वकुलाय मौका व कुर्रेजात रिपोर्ट पर सुनी गई। उभयपक्षकारान के निवेदन पर न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 14.10.2015 को मौका देखा गया।

(6). **बहस सुनी गई।**

पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात [illegible]पूर्वक अवलोकन एवं बहस पर मनन किया गया। **(1). वादी व** [illegible] 1, 2, 10, 117, 121 कुल किता 5 कुल रकबा 11.46 है. व ख. नं. 85, 88, [illegible] कुल किता 3 कुल रकबा 5.66 है. के सहखातेदार है। खाता विभाजन बाबत कुर्रेजा[illegible] रिपोर्ट मौके पर कब्जे काश्त व बाहमी बंटवारे के अनुसार प्राप्त हुई है। जिसके सम्ब[illegible] में किसी पक्षकार की विशेष आपत्ती नहीं रही। न्यायालय मुताबिक कुर्रेजात पक्षकारान का खाता विभाजन किया जाना न्यायोचित

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.08.01 16:39:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

पाता है। (2). वादी का वाद पत्र के साथ प्रतिवादीगण की भूमि में से रास्ता दिलाए जाने बाबत 251(क) के तहत भी निवेदन रहा जिसके सम्बंध में तहसीलदार बुहाना की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। जिसके अनुसार वादी द्वारा चाहा गया रास्ता एक मात्र विकल्प नहीं बताया गया है। न ही वादी की मांग को उचित बताया है। प्रतिवादी सं0 9 से 16 वादी के सहखातेदार नही है। प्रतिवादी सं0 4, 6, 9 लगा0 16 नें वाद वर्णित रास्ते के अनुतोष को अस्वीकार किया है। (3). न्यायालय द्वारा भी पक्षकारान की उपस्थिती में मौका देखा गया। जिसके अनुसार वादी द्वारा चाहे गए रास्ते की दुरी लगभग आधा किलोमीटर हो जाती है। वादी व उसके भाई प्रतिवादी सं0 2 एक साथ खसरा नम्बर 117 की उत्तरी सीमा के नजदीक कुऑ व निवास बनाकर आबाद है। उसके पास ही इसी खसरा नम्बर में उसका बड़ा भाई प्रतिवादी सं. 1 गोकलराम भी कुऑ ढाणी बनाकर आबाद है। जिसकी पहुच खसरा नम्बर 123 से बहुत दुर पड़ती है। खसरा नम्बर 123 वादी की सामलाती खातेदारी भूमि भी नहीं है। जबकि खसरा नम्बर 118 से सबसे निकटतम दुरी का रास्ता बनता है। जहॉ से वर्तमान में आते जाते भी है। इस सम्बंध में प्रतिवादीगण के अभिकथन वास्तविकता के नजदीक है। खसरा नम्बर 118 भी बाहमी बंटवारे में औमप्रकाश पुत्र लीलाराम के हिस्से में आया हुआ है। जो मौके पर कुऑ ढाणी बनाकर काबिज काश्त है। औमप्रकाश को भी मौके पर बुलाया गया समझाइश की गई। पक्षकारान ने आपस में बाहमी बंटवारा भी कदीम से कर रखा है। उसी अनुसार काबिज काश्त है। वादी व प्रतिवादी 1, 2, 3 व इनके पुत्रान ने भी आपस में बाहमी बंटवारे में आई हुई भूमि खसरा नम्बरान 117 को भी बांट रखा है। जिनको देखते हुए भी खसरा नम्बर 118 में से ही रास्ता रिजनेब्ल है। वादी के भाई भी आपस में सहमत नहीं है। खसरा नम्बर 118 या अन्य वैकल्पिक रास्ते के खातेदारों को वाद पक्षकार नहीं बनाया है। इस कारण इस आदेश में रास्ते के सम्बंध में आदेश नहीं किया जा रहा है। वादी का पृथक से संबन्धित खातेदार के विरूद्ध वाद करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट वाद वादी दिनांक 20.10.2015 को अन्तिम डिक्री किया गया है।

पत्रावली पुनः श्रीमान भू–प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर कैम्प झुझुनूं राज0 के निर्णय दिनांक 09.11.2022 को द्वारा पत्रावली इस आदेश के साथ पत्रावली प्राप्त हुई की प्राथमिक डिक्री अनुसार विभाजन प्रस्ताव नियम 18 से 21 की पालना में विभाजन प्रस्ताव तैयार करे विचारण न्यायालय इन विभाजन प्रस्ताव पर उभयपक्ष को सुनकर गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। विचारण न्यायालय पक्षकारान की भूमि से निकटतम कटानी रास्ते तक खातेदारान की उपस्थिति में मौका रिर्पोट धारा 251 ए के प्रावधानों के अनुरूप तैयार करवाकर प्राप्त करें तदुपरान्त खातेदारान को सुनकर रास्ते के सन्दर्भ में गुणावगुण पर निर्णय पारित करे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं बहस पर मनन किया गया प्राथमिक डिक्री दिनांक 30.07.2012 को की गई। तथा तहसीलदार बुहाना से विभाजन प्रस्ताव हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 133 दिनांक 07.05.2024 के द्वारा भिजवाया गया। तहसीलदार बुहाना के पत्रांक 2061 दिनांक 20.06.2025 के द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुए शामिल पत्रावली हुए विभाजन प्रस्ताव का अध्ययन किया गया प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा खाता विभाजन, विभाजन प्रस्ताव अनुसार करने हेतु निवेदन किया ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.08.01 16:39:17 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

खाते के अनुसार समय पर दस्तावेज सहमति से प्राप्त हुई पर प्रतिवादी संख्या 1/2 [illegible] 1/4 द्वारा आपत्ति पेश की गई। सुना गया। पत्रावली पर उपलब्ध [illegible] के अभिलेखों का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। [illegible] की आपत्ति खारिज की जाती है। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत् [illegible] ग्राम [illegible] स्थित भूमि खाता संख्या 48, 48 में वादी व प्रतिवादीगण का [illegible] हिस्से व [illegible] कब्जे [illegible] अनुसार वाद वादी स्वीकार कर अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

— आदेश —

"उपरोक्तानुसार वाद वादी बाबत खाता व लगान विभाजन व डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत है। अतः यह कि वादी ग्राम [illegible] तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राजस्थान स्थित भूमि खसरा नम्बर 1, 3, 10, 11[illegible], 121 कुल किता 8 कुल रकबा 11.48 हैक्टेयर, व खसरा नम्बर [illegible] कुल किता 3 कुल रकबा 8.88 हैक्टेयर भूमि का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 20.08.2024 के माफिक अंतिम डिक्री किया जाना उचित पाया है। वादी व प्रतिवादीगण का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ-1 लगायत अ-8" व नक्शा प्रदर्श "ब" के माफिक अंतिम डिक्री किया जाना उचित पाया है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ-1 लगायत अ-8" व नक्शा प्रदर्श "ब" के अलग-अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग-अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव "अ-1 लगायत अ-8" व नक्शा प्रदर्श "ब" इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। पक्की डिक्री जारी हो।"

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
[illegible] एवं
पदेन सहायक कलेक्टर, बुहाना

निर्णय आज 10-07-2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय के मुद्रांकित खुले इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
[illegible] एवं
पदेन सहायक कलेक्टर, बुहाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.08.01 16:39:17 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में (अंतिम) डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारी :–

सुमन देवी II, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं. पुरानाः–**105/2012**
राजस्व वाद सं. नया :–**08/2023**

जीसीएमएस नम्बर :– 2023/14

बीरबलसिंह **बनाम** गोकलराम आदि

दावा– खाता विभाजन, रास्ता (251क), स्थाई निषेधाज्ञा

वादी की ओर से **श्री अशोक यादव एडवोकेट** की उपस्थिती व प्रतिवादी सं. 4, 6 व 9 लगायत 16 की व्यक्तिशः उपस्थिती में इस वाद को **सुमन देवी II, उपखण्ड अधिकारी, बुहाना** के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि–

" न्यायालय वाद वादी बाबत खाता व लगान विभाजन व डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः यह कि वाके ग्राम ढाकामाण्डी तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0 स्थित भूमि खसरा नंम्बर 1, 2, 10, 117, 121 कुल किता 5 कुल रकबा 11.46 हैक्टर, व खसरा नंम्बर 85, 88, 190 कुल किता 3 कुल रकबा 5.66 हैक्टर भूमि का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 20.06.2025 के वाद को अंतिम डिक्री किया जाना उचित पाता है। वादी व प्रतिवादीगण का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–5" व नक्शा प्रदर्श "ब" के वाद को अंतिम डिक्री किया जाना उचित पाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–5" व नक्शा प्रदर्श "ब" के अलग–अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग–अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव "अ–1 लगायत अ–5" व नक्शा प्रदर्श "ब" इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो। "

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख **10.07.2025** को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

उपखण्ड अधिकारी, बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

(सुमन देवी II)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर, बुहाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.08.01 16:39:17 IST
Reason: SelfAttested